अनुदान संख्या 52 - मंत्रिमंडल
GRANT No. 52 - CABINET

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged -*		*5,00*	*1,01*	*- 3.99*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	334,32,00	355,82,00	287,04,35	-68,77,65
पूरक	Supplementary	21,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,00,00
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	91,05,00	108,05,00	22,07,93	-85,97,07
पूरक	Supplementary	17,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6877.65 लाख) अगस्त, 2010 और नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹2150.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6877.65 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2150.00 lakhs obtained in August, 2010 and November, 2010 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2013"	Major Head "2013"				
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers				
मू.	O.	17041.00			
पू.	S.	2150.00	17158.00	14010.00	-3148.00
पु.	R.	- 2033.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	16097.00	16430.00	14400.41	-2029.59
पु.	R.	333.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2013" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under Major Head "2013" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "मंत्रिमंडल सचिवालय - सचिवालय (मुख्य + भुगतान तथा लेखा कार्यालय)" - ₹2247.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1676.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3923.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग द्वारा रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यशाला आयोजित न किए जाने, आबंटित कार्यालय स्थल का कब्जा न लेने और वृत्तिक को काम न रखे जाने के कारण ₹1049.81 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Cabinet Secretariat – Secretariat (Main +PAO)" – the original provision of ₹2247.00 lakhs was augmented to ₹3923.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1676.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1049.81 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-conducting of workshop, non-occupation of allotted office space and non-hiring of professional by Performance Management Division.

(खा) "प्रधानमंत्री कार्यालय - राष्ट्रीय सलाहकार परिषद" - ₹474.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थी, तथापि, जो रिक्त पदों के भरे जाने में विलंब होने और कम संख्या में विदेशी दौरे किए जाने के कारण ₹352.55 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) "Prime Minister's Office - National Advisory Council" – funds of ₹474.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹352.55 lakhs - due to delay in filling up of vacant posts and less number of foreign tours undertaken.

(II) मुख्य शीर्ष "2013" - "दौरा व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय मंत्री" - ₹4090.59 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "राज्य मंत्री" - ₹544.33 लाख की बचत (₹1750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय/राज्य मंत्रियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष सुरक्षा समूह - स्थापना" के अंतर्गत ₹1696.59 लाख की बचत (₹16097.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष अंतराक्षेपण इकाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और नई शस्त्र प्रणाली के गोला बारूद की पूर्ति के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2013" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन" -

(क) "केंद्रीय मंत्री" - ₹197.32 लाख का अधिक व्यय (₹85.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "राज्य मंत्री" - ₹273.44 लाख का अधिक व्यय (₹108.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय केंद्रीय/राज्य मंत्रियों के वेतन में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "प्रधानमंत्री कार्यालय - स्थापना" - ₹134.34 लाख का अधिक व्यय (₹2304.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त

(II) Under Major Head "2013" – "Tour Expenses" –savings occurred under the following heads:-

(A) "Cabinet Ministers" – saving of ₹4090.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs); and

(B) "State Ministers" - saving of ₹544.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less numbers of tour undertaken by Cabinet/ State Ministers.

(III) Under Major Head "2055" – "Special Protection Group - Establishment" - saving of ₹1696.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16097.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for the project of Special Intervention Unit and non-receipt of bills for supply of ammunition for new weapon system.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2013"- under the following heads:-

(A) "Salary of Ministers and Deputy Ministers" -

(a) "Cabinet Ministers" – excess of ₹197.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹85.00 lakhs) ; and

(b) "State Ministers" - excess of ₹273.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds to meet increase in salary of Cabinet/State Ministers.

(B) "Prime Ministers Office - Establishment"- excess of ₹134.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2304.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet hike in

निधियों की आवश्यकता होने और अधिकारियों द्वारा अधिक दौरा यात्राएं किए जाने के कारण हुआ।

dearness allowance and more visits of officials on tours.

(II) बचतें तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹176.19 लाख के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक थीं।

(II) Savings were also offset by an excess of ₹176.19 lakhs under three heads, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 19 percent to 30 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹8597.07 लाख) अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1700.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल प्रावधान का 80 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹8597.07 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹1700.00 lakhs obtained in August, 2010 and constituted 80 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

Savings occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	9105.00	10805.00	2207.93	-8597.07
पू.	S.	1700.00			

(I) "विशेष सुरक्षा समूह - सामान्य" के अंतर्गत ₹7500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9200.00 लाख कर दिया गया । तथापि, ₹7816.84 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) विशेष सुरक्षा समूह के मोटर वाहनों और मशीनरी उपस्कर की खरीद संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Special Protection Group - General" - the original provision of ₹7500.00 lakhs was augmented to ₹9200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1700.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7816.84 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposal for purchase of motor vehicles and machinery equipments for Special Protection Group.

(II) "विशेष सुरक्षा समूह - कार्यालय भवन" के अंतर्गत ₹800.23 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए भवन के निर्माण कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Special Protection Group – Office Buildings" – saving of ₹800.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to non-completion of construction work of new building by Central Public Works Department.